# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 167/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामस्वरुप जाट प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   श्री कैलाश चन्द यादव, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत टसकोला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, पुलिस थाना प्रागपुरा।
4. निर्णय दिनांक : 01.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कोटपूतली श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगी, फर्द जांच रिकार्ड आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी कैलाश चन्द यादव पर दिनांक 14.02.2007, 27.02.2007 व दिनांक 05.03.2007 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 90 लीटर केरोसीन व 23.08 क्विंटल गेहूँ मय कन्टेनर्स को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त केरोसीन व गेहूँ के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर अप्रार्थी एवं अभिभाषक उपस्थित हुये परन्तु अधिवक्ता की ओर से ना तो वकालतनामा पेश किया गया ना ही जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.02.2007 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर जांच कार्यवाही कर 90 लीटर केरोसीन व 23.08 क्विंटल गेहूँ मय कन्टेनर्स जब्त किये गये। मौके पर उचित मूल्य दुकान के बाहर सूचना पटट का बोर्ड व दुकान खुलने तथा बन्द होने का समय, मूल्य स्टॉक सूची आदि का प्रदर्शन अंकित नहीं पाया गया, प्राधिकृत राशन विक्रेता द्वारा यूनिट रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया और प्रस्तुत दुकान का नक्शा भी सत्यापित नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

केरोसीन व गेहूँ अवैध थे और उनके संधारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये है और ना ही किसी अन्य ने क्लेम किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 90 लीटर केरोसीन व 23.08 क्विंटल गेहूँ मय कन्टेनर्स शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।